भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

सत्यमेव जयते

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 04 / 38 / 2018 / एफ.सी. | 381 | दिनॉक: 31.08.2018

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/29629/2017

विषयः जनपद चित्रकुट में राष्ट्रीय मार्ग संख्या–76 / 35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी0 से 349 किमी0 (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33 / 11 के0वी0 विद्युत लाईन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः–विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–78 / 14–2–2018–800(68) / 2018, दिनांक– 28.08.2018.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 04.07.2018 द्वारा दो बिन्दुओं पर चाही गई सूचनाओं की अनुपालना में राज्य सरकार एवं नोडल अधिकारी द्वारा सहमति / टिप्पणी नहीं दी गई है तथा प्राप्त अनुपालना अधूरा एवं अस्पष्ट प्रेषित की गई है।

अतः प्रकरण में राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. ROW की गणना 33 KV मानकर की गई है, जबकि 11 KV विद्युत लाईन निर्माण की योजना हेतु वनभूमि का अपयोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। अतः इसमें संशोधन / स्पष्टीकरण अपेक्षित है।
2. वैकल्पिक मार्ग का विवरण यथा मानचित्र, सन्निहित वनभूमि एवं प्रभावित वृक्षों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा बिना विकल्प बताए प्रस्तावित मार्ग का चयन किया गया है।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर पुनः स्पष्ट अनुपालना आख्या प्रस्तुत की जाए ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, चित्रकुट, उ0 प्र0।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण चित्रकुट, उ0 प्र0।
4. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

31.08.18

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}